न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 40 / 2019

1 रिद्धकरण पुत्र अर्जुन।
2 ओमप्रकाश पुत्र अर्जुन समस्त जाति माली निवासीगण वार्ड नम्बर 19 मण्डावा तहसील व जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 मदनलाल पुत्र औंकारमल।
2 ईश्वरी प्रसाद पुत्र औंकारमल।
3 माधो प्रसाद पुत्र औंकारमल।
4 गिनिया देवी पत्नी हरिराम।
5 रमेशचन्द पुत्र हरिराम समस्त जाति महाजन निवासीगण मण्डावा तहसील व जिला झुंझुनू।
6 नन्दकिशोर जगनानी पुत्र श्याम सुन्दर।
7 विनोद जगनानी पुत्र श्याम सुन्दर समस्त जाति महाजन निवासीगण जैसल पारक बहिन्दर ईस्ट थाने महाराष्ट्र।
8 राधेश्याम पुत्र अर्जुनराम जाति माली निवासी मण्डावा तहसील व जिला झुंझुनू हाल आबाद नवलगढ़ जिला झुंझुनू।
9 राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

अपील अन्तर्गत धारा 223 आर.टी. एक्ट अपील
विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 26.02.2019
न्यायालय एस.डी.ओ. झुंझुनू द्वारा घोषणार्थ
एवं रिकार्ड दुरूस्त उनवानी द्विकरण वगैरह
बनाम मदनलाल वगैरह मु.नं. 98/2017

उपस्थिति :

1. श्री राजकुमार सैनी, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री विक्रम दुलड़, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः— 28.01.2021

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू द्वारा मुकदमा नम्बर 98/2017 में पारित निर्णय दिनांक 26.02.2019 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण/अपीलांट ने विचारण न्यायालय में प्रतिवादी रेस्पोडेंटस के विरूद्व कस्बा मण्डावा की भूमि गत खसरा नम्बर 12,13,14, 258/819, 15 हाल खसरा नम्बर 30,31,32,631, 33 बाबत घोषणा व रिकार्ड दुरूस्ती का वाद प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने दिनांक 08.01.2019 को आदेश 7 नियम 11 का आवेदन प्रस्तुत किया गया एवं वास्ते जवाब दिनांक 17.01.2019 को नियत किया गया। दिनांक 26.02. 2019 को विचाराधीन वाद आदेश 7 नियम 11 आवेदन स्वीकार कर खारिज कर दिया गया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि अदालत मातहत ने दिनांक 08.01.2019 की न्यायालय की आदेशिका में दर्ज किया है कि पत्रावली पेश हुई वकील वादी उपस्थित नही हुआ प्रतिवादीया नम्बर 4 की ओर से जरिए मुख्तियार दिनेश देवड़ा पुत्र विश्वनाथ देवड़ा निवासी वार्ड नम्बर 6 मण्डावा के द्वारा प्रार्थना अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 जा.दी. पेश किया गया वकील वादीगण को बार–बार आवाज लगाई गई परन्तु आज न्यायालय में उपस्थित नही होने पर प्रार्थना पत्र शामिल मिसल किया गया मिसल वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र व बहस 07नियम 11 दिनांक 17.01.2019 को पेश है। दिनांक 04.02.2019 की आदेशिका का अवलोकन करने पर जाहिर होता है कि प्रतिवादीगण 4 व 5 का अधिवक्ता उपस्थित वकील वादीगण उपस्थित नही हुआ जवाब प्रार्थना पत्र हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त भी जवाब प्रार्थना पत्र पेश नही करने पर जवाब प्रार्थना पत्र बन्द किया जाता है। पत्रावली वास्ते बहस प्रार्थना पत्र 07नियम11 सीपीसी दिनांक 12.02.2019 को पेश हों। दिनांक 12.02.2019 की आदेशिका का अवलोकन करने पर जाहिर होता है कि वकील प्रतिवादी संख्या 4 व 5 के अधिवक्ता उपस्थित। वकील वादीगण को आवाज लगवाई गई परन्तु वकील वादीगण व वादीगण स्वंय में से कोई उपस्थित नही हुआ। न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 जा.दी. पर बहस वकील प्रतिवादीगण सुनी जाकर समाहत की गई है। मिसल वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र 07 नियम 11 जा.दी. दिनांक 26.02.2019 को पेश हों। उपरोक्त आदेशिकाओं में दर्ज समस्त तथ्यों का अवलोकन करने से यह जाहिर होता है कि अदालत मातहत ने अपने न्यायिक विवके का उपयोग नही किया है। मात्र साईकलो स्टाईल आदेश लिख–लिख कर तारीख दर तारीख दर्ज किया है। विधि का यह सुस्थापित सिद्वान्त है कि अगर तारीख पेशी पर वादी या वादी का अधिवक्ता उपस्थित नही होता है और प्रतिवादी उपस्थित होता है तो ऐसी स्थिति में न्यायालय द्वारा 09आरबी जा.दी. के तहत दावा अदम हाजरी अदम पैरवी खारिज किया जाता है। लेकिन अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जिसको जवाब प्रार्थना पत्र बहस हेतु दावा दिनांक 04.02.2019 को पुन नियत कर दिया तथा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

दिनांक 04.02.2019 को पुनः वकील वादी की अनुपस्थिति दर्शाते हुए जवाब प्रार्थना पत्र बन्द कर पत्रावली दिनांक 12.02.2019 को बहस हेतु नियत की गई जबकि दावा कानूनन अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज कर देना चाहिए था। दिनांक 12.02.2019 को वकील वादी को आवाज लगाई। उपस्थित नही हुआ एवं वकील प्रतिवादीगण की बहस सुनी गई जब वकील वादी उपस्थित ही नही था तो ऐसी स्थिति में वकील प्रतिवादीगण की बहस मैरिट पर सुनने की कोई आवश्यकता नही होती है और न्यायालय द्वारा दावा अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाना चाहिए था जो माननीय न्यायालय द्वारा बहुत बड़ी कानूनी भूल कारित की गई है। दिनांक 07.02.2019 से दिनांक 22.02.2019 तक राजस्थान के तमाम न्यायालयों में अधिवक्ताओं द्वारा न्यायालयों में उपस्थिति नही दी गई थी क्योंकि उस दौरान अधिवक्तागण द्वारा ADJ भर्ती परीक्षा में अधिवक्ता कोटा कम करने के विरोध में न्यायिक कार्यो का बहिष्कार कर रखा था जिससे वकील प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 12.02.2019 को न्यायालय में उपस्थित होना व निर्णय पारित करवाया जाना विधि विरूद्व है। अपील स्वीकार कर प्रकरण रिमाण्ड करने का निवेदन किया।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 4 के मुख्यतार दिनेश देवड़ा द्वारा दिनांक 08.01.2019 को आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का आवेदन प्रस्तुत किया गया था। विचारण न्यायालय में इसके उपरान्त अपीलांट को दिनांक 17.01.2019,28.01.2019, 04.02.2019 को जवाब हेतु अवसर प्रदान किया गया। अपीलांट द्वारा पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त भी आवेदन का जवाब प्रस्तुत नही किया। इस पर दिनांक 04.02.2019 को जवाब बन्द कर पत्रावली दिनांक 12.02.2019 को बहस हेतु नियत की गई। इस तिथि को भी अपीलांट द्वारा किसी प्रकार की चाराजोही नही की जाने पर प्रार्थी की बहस सुनी जाकर पत्रावली निर्णय हेतु दिनांक 26.02.2019 को नियत की गई। दिनांक 26.02.2019 को विचारण न्यायालय द्वारा विस्तृत विवेचन कर प्रार्थी का आवेदन स्वीकार कर वाद वादी खारिज किया गया है। विचारण न्यायालय में वादी अपीलांट का दायित्व था कि वह अपने वाद की समुचित पैरवी करता, किन्तु अपीलांट द्वारा विचारण

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

न्यायालय में जानबुझकर कोई पैरवी नही की गई है। इसके लिये रेस्पोडेंट जिम्मेदार नही है। विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय पारित करने में कोई विधिक त्रुटि नही की है। अपील सारहीन है खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। विचारण न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 4 के मुख्यतार दिनेश देवड़ा द्वारा दिनांक 08.01.2019 को आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का आवेदन प्रस्तुत किया गया था। विचारण न्यायालय में इसके उपरान्त अपीलांट को दिनांक 17.01.2019,28.01.2019, 04.02.2019 को जवाब हेतु अवसर प्रदान किया गया। अपीलांट द्वारा पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त भी आवेदन का जवाब प्रस्तुत नही किया। इस पर दिनांक 04.02.2019 को जवाब बन्द कर पत्रावली दिनांक 12.02.2019 को बहस हेतु नियत की गई। इस तिथि को भी अपीलांट द्वारा किसी प्रकार की चाराजोही नही की जाने पर प्रार्थी की बहस सुनी जाकर पत्रावली निर्णय हेतु दिनांक 26.02.2019 को नियत की गई। दिनांक 26.02.2019 को विचारण न्यायालय द्वारा विस्तृत विवेचन कर प्रार्थी का आवेदन स्वीकार कर वाद वादी खारिज किया गया है। विचारण न्यायालय में वादी अपीलांट का दायित्व था कि वह अपने वाद की समुचित पैरवी करता, किन्तु अपीलांट द्वारा विचारण न्यायालय में जानबुझकर कोई पैरवी नही की गई है। इस बिन्दु पर अपीलांट इस न्यायालय से किसी प्रकार का अनुतोष पाने का अधिकारी नही पाया जाता है। विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय पारित करने में कोई विधिक त्रुटि नही की है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 28.01.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर